Before The Civil Judge Senior Division Varanasi

C S No. 693/2021

Rakhi Singh & Others vs Court of U.P. & Ors

Sir,

Today on 16.05.2022 a Shivling is found in Masjid Complex at the place where Wazukhana is there.

This is a very important piece of evidence.

Kindly make the following directions:-

1- Direct the CRPF Commandant to seal the Wazu Khana with proper force.

2. Kindly direct the District Magistrate to restrict entries of Muslims for offering Namaz.

Not more than 20 Muslims be allowed to offer Namaz.

3. Kindly Stop the Usage of Wazukhana with immediate effect.

Varanasi
16.5.2022

Sd/- for
H.S Jain
Counsel for Applicant
Hari Shankar Jain
Mob No. 9837509565

<u>न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), वाराणसी।</u>

पीठासीन अधिकारी:- श्री रवि कुमार दिवाकर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

JO CODE:- UP01828

C.N.R No. UPVR001067-2021

<u>मूलवाद संख्या-693/2021</u>

श्रीमती राखी सिंह आदि-----------बनाम------- उ० प्र० सरकार आदि

<u>दिनाँक:-16.05.2022</u>

पत्रावली आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करवाई गयी। प्रार्थनापत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज दिनाँक 16.05.2022 को शिवलिंग, मस्जिद काम्पलेक्स के अन्दर दौरान कमीशन पाया गया है। यह बहुत ही **महत्वपूर्ण साक्ष्य** है, इसलिए सी०आर०पी०एफ० कमाण्डेन्ट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जिलाधिकारी, वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थनापत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज दिनाँक 16.05.2022 को शिवलिंग, मस्जिद काम्पलेक्स के अन्दर दौरान कमीशन पाया गया है। यह बहुत ही **महत्वपूर्ण साक्ष्य** है, इसलिए सी०आर०पी०एफ० कमाण्डेन्ट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जिलाधिकारी, वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। पत्रावली को देखने से भी स्पष्ट है कि पूर्व में न्यायालय के द्वारा कमीशन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आज वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 78 ग द्वारा कहा गया है कि दौरान कमीशन मस्जिद काम्पलेक्स में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अतः उसे संरक्षित किया जाना अति-आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 78 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

प्रार्थनापत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किये गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी तथा सी०आर०पी०एफ०, कमाण्डेन्ट, वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत [illegible] मानी जाएगी। उपरोक्त सील किये गये स्थान के अन्दर स्थानीय

प्रशासन द्वारा क्या-क्या किया गया है, इसके पर्यवेक्षण(सुपरविजन) की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ की होगी। वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारीगण को नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली पूर्व से नियत तिथि दिनॉक 17.05.2022 को वास्ते कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई हेतु पेश हो।

16/5/22

(रवि कुमार दिवाकर)
सिविल जज(सी०डि०),
वाराणसी।

(वैयक्तिक सहायक)
केशव प्रकाश वर्मा